पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

(बेतिया वन प्रमण्डल, बेतिया)

प्रेस विज्ञप्ति

जंगली जानवरों से फसल एवं जानमाल की क्षति पर बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के प्रति जन–जागरूकता के संबंध में।

बिहार सरकार राज्य के किसानों एवं वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जंगली जानवरों द्वारा फसल, संमत्ति एवं जान–माल की क्षति होने पर पीड़ित परिवारों को त्वरित आर्थिक सहायता एवं राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रावधान किए गए है। बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सहायता :–

(क) जंगली जानवर/वन्यप्राणी (बाघ, तेन्दुआ, हाथी, भालू, गौर, जंगली सूअर, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, गैण्डा, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ एवं घडियाल) द्वारा शारीरिक क्षति होने पर दी जाने वाली सहाय्य राशि :–

1.मनुष्य की मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता पर :– 10,00,000/–
2.मनुष्य की गहरी चोट परः– 1,44,000/–
3.मनुष्य की हल्की चोट या घायल होने परः– 24,000/–

(ख) जंगली जानवर/वन्यप्राणी (बाघ, तेन्दुआ, हाथी, भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया) द्वारा पशुओं/मवेशियों के मारे जाने पर दी जाने वाली सहाय्य राशि :–

1.भैंस, गाय, बैल, की मृत्यु होने पर :– 24,000/–
2.भेड़, बकरा की मृत्यु होने परः– 4,800/–
3.बकरी की मृत्यु होने परः– 7,200/–

(ग) जंगली जानवर/वन्यप्राणी (हाथी, गौर, एवं गैण्डा) द्वारा मकान (कच्चा/पक्का) की क्षति किये पर दी जाने वाली सहाय्य राशि :–

1.पक्का मकान (पूर्ण रूप से नश्ट) :–96,000/–
2.मिट्टी की दीवार पर खपड़ा या कोरेगेटेड शीट की छत वाली मकान (पूर्ण रूप से नष्ट):–48,000/–
3.पक्का मकान (गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त):–48,000/–
4.कच्चा मकान (गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त):–24,000/–
5.साधारण रूप से क्षतिग्रस्त मकानः–12,000/–

(ग) जंगली जानवर/वन्यप्राणी (हाथी, नीलगाय एवं जंगली सूअर) के द्वारा फसल क्षति किये जाने पर दी जाने वाली सहाय्य राशि :–

1.फसल नष्ट होने पर :–50,000/– प्रति हे0

आवेदन प्रक्रिया :– मनुष्य के मारे जाने तथा घायल होने की स्थिति में 24 घंटों के अन्दर यह सूचना निकटतम वन प्रक्षेत्र/वन प्रमण्डल कार्यालय एवं संबंधित थाना को दी जाएगी। जंगली जानवरों के द्वारा मनुष्यों के मारे जाने के स्थिति में संबंधित थाना में प्राथमिकि दर्ज कराना अनिवार्य है। पालतु प ुओं के मारे जाने की सूचना भी 24 घंटों के अन्दर यह सूचना निकटतम वन प्रक्षेत्र/वन प्रमण्डल कार्यालय को पशु के स्वामी द्वारा दिया जाऐगा। मृत पशु के लाश घटनास्थल से वनाधिकारी की जाँच के उपरान्त ही हटाई जाऐगी। जंगली जानवरों के द्वारा फसल एवं मकान की क्षति किये जाने पर 02 दिनों के अन्दर इसकी सूचना वन क्षेत्र कार्यालय/अंचल अधिकारी कार्यालय को दिया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही संबंधित जमीन का LPC एवं अद्यतन लगान रसिद की प्रति लगाना अनिवार्य होगा। सभी अंतिम भुगतान बैंक ड्राफ्ट/अंतरण के द्वारा किया जाऐगा। सभी आवेदनों में आवेदक को बैंक खाता का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

बेतिया वन प्रमण्डल का अनुरोध है कि सभी किसान एवं ग्रामीण भाई–बहन इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि कोई भी व्यक्ति सहायता से बंचित न रहे।

वन प्रमंडल पदाधिकारी
बेतिया वन प्रमंडल, बेतिया

उक्त सूचना state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।